राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक–5, द्वितीय एवं तृतीय तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
Mail ID –rajssa_plan@yahoo.co.in

क्रमांकः रास्कूशिप–जय / यू–डाइस / 2026–27 / Rajkaj Ref. 6340 दिनांकः 21/5/26

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्चयक समग्र शिक्षा,
समस्त जिला।

विषयः यूडाइस प्लस जीआईएस–एप के माध्यम से विद्यालयों के जीआईएस कॉर्डिनेट वेरिफिकेशन एवं फोटो अपलोड करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व केवल प्री–प्राइमरी स्तर के संचालित सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों सहित मदरसा की समस्त प्रकार की शैक्षिक सूचनाओं को संकलित किये जाने के उद्देश्य से एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (UDISE: Unified District Information System for Education) विकसित की गई है।

यूडाइस के ऑकडों का संकलन ऑनलाईन प्लेटफॉर्म http://udiseplus.gov.in के माध्यम से विद्यालय स्तर से किया जाता है जिसमें सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों के जीआईएस कॉर्डिनेट भी इन्द्राज किये गये है। विद्यालयों के जीआईएस कॉर्डिनेट्स का वेरिफाई करवाये जाने हेतु स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूडाइस+ जीआईएस केप्चर मोबाइल एप (UDISE+ GIS CAPTURE MOBILE APP) लांच किया गया है। जो कि Android user एवं iOS user हेतु निम्न क्यूआर कोड/ लिंक पर उपलब्ध है–

UDISE Plus
GIS Capture
for Android

UDISE Plus
GIS Capture
for iOS

लिंक **website:** https://gis.udiseplus.gov.in/

Android (Google Play Store)

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.udiseplus.gis

iOS (Apple App Store)

https://apps.apple.com/in/app/udise-plus-gis-capture/id6752555474

यूडाइस+ जीआईएस केप्चर मोबाइल एप के उपयोग हेतु उपयोगकर्त्ता पुस्तिका (User Manual) पत्र के साथ संलग्न है। जिसमें एप के मोबाइल इन्सटालेशन व विभिन्न स्तर ब्लॉक/जिला स्तर की मानक संचालन प्रकिया (Standard Operation Procedure) उल्लेखित है। जिसकी सहायता से समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालय अपने जीआईएस कॉर्डिनेट का सत्यापन कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालय द्वारा उनके विद्यालय की 4 फोटो जीआईएस टेगिंग के साथ लेकर लिये जावेगे जिससे जीआईएस कॉर्डिनेट का स्वतः अपडेशन हो जावेगा। पूर्व में लिये गये छाया चित्र अपलोड नही होगे। एप द्वारा ही छायाचित्र लिया जावेगा।

लगातार पेज...2 पर

Scanned with OKEN Scanner

इस एप के माध्यम विद्यालय में बिना इन्टरनेट के भी जीआईएस टेगिंग सहित विद्यालय के फोटो लिये जा सकते है तथा इन्टरनेट उपलब्धता होने पर यूडाइस पोर्टल पर अपलोड हो सकेंगे। विद्यालय के लिये जाने वाले चार फोटो विद्यालय के निम्न स्थान के होने अपेक्षित है–

1. विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार का फोटो जिसमें विद्यालय का नाम सही से प्रदर्शित हो।
2. विद्यालय के मुख्य भवन को सामने से फोटो जिसमें विद्यालय का भवन प्रदर्शित हो।
3. यदि विद्यालय में एक से ज्यादा ब्लॉक हो तो अन्य ब्लॉक अन्यथा मुख्य भवन को किसी अन्य तरफ से लिया गया फोटो।
4. विद्यालय के कक्षा–कक्ष/लाइब्रेरी/आईसीटी लैब इत्यादि में किसी भी एक का फोटो।

विद्यालय/ब्लॉक द्वारा अपलोड किये गये फोटो को जिला एमआईएस लॉगिन से स्वीकृत/अस्वीकृत किये जावेगे। स्वीकृत करने के उपरान्त ही यूडाइस पोर्टल पर प्रदर्शित हो सकेगे तथा अस्वीकृत किये जाने पर पुनः विद्यालय/ब्लॉक द्वारा अपलोड किये जाने की प्रक्रिया पुनः की जा सकेगी।

जिला स्तर से किये जाने वाले कार्य–

जिला स्तर के अधिकारी अपने मोबाइल पर UDISE+ GIS CAPTURE MOBILE APP को इंस्टाल कर या अपने यूडाइस पोर्टल के मुख्य–पृष्ठ पर उपलब्ध UDISE+ GIS CAPTURE लिंक के माध्यम से यूडाइस यूजरनेम व पासवर्ड द्वारा लॉगिन कर जीआईएस/फोटो का रिव्यू करेंगे। गलत होने की स्थिति में रिजेक्ट कर पुनः विद्यालय को भेजकर कर अपडेट करवायेंगे।

प्रत्येक विद्यालय द्वारा का अपलोड की गई फोटो उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के अनुसार है या नहीं, क्वालिटी अच्छी है या नहीं और विद्यालय के साथ मिलान हो रही है या नहीं के आधार जांचकर ही स्वीकृत करेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि या संदेह की स्थिति में फोटो को अस्वीकृत कर पुनः अपलोड किये जाने हेतु विद्यालय को भेजेंगे।

अतः समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के समस्त ब्लॉक कार्यालयों को निर्देशित कर राजस्थान में संचालित सभी राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों से उपरोक्तानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर एप के माध्यम से अपनी लोकेशन सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(रश्मि शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक रास्कूलशिप, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान को समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (प्रारंभिक व माध्यमिक) के माध्यम से निर्देशित कर कार्य पूर्ण करवाने बाबत।
4. विभागाध्यक्ष, संस्कृत शिक्षा विभाग/अल्पसंख्यक मामलता विभाग/सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग/जनजातिय विकास विभाग/मदरसा बोर्ड को सम्बन्धित विद्यालयों को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम एवं द्वितीय, रास्कूलशिप, जयपुर।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
7. संस्था प्रधान समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालय।
6\. रक्षित प्रति।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

Scanned with OKEN Scanner